संख्या-26/2015 /746/84-1-15-13बामा/2011

प्रेषक,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 17 दिसम्बर,2015

विषय- राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन की स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-285/निविमावि-लेखा-7(25)मॉग/2015-16, दिनॉक 11 अगस्त, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधिक माप विज्ञान विभाग में राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन की स्थापना एवं संचालन हेतु श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-106-भार और माप का विनियम-04-राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन 42-अन्य व्यय मद में प्राविधिानित धनराशि रू0 27,24,000/- से पुनर्विनियोग कर लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियम-04-02-मजदूरी में रू0 15,72,000/-, लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियम-04-13-टेलीफोन पर व्यय में रू0 4,82,784/-, एवं लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियम-04- 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय मद में रू0 6,69,216/- कुल रू, 27,24,000/- (सत्ताइस लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग कर संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का अन्य मदों में व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015 दिनॉक 30.03.2015 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-26/2015/746/84-1-15 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार ((लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार ((लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
8- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन

(संदर्भ:- बजट मैनुअल का प्रस्तर -158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे अनुदेशों को भली- भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-21 -खाद्य एवं रसद विभाग (उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप) वित्तीय वर्ष 2015-16 (धनराशि रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान (विनियोग) (2-5)
1	2	3	4	5	6
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-04-राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन-42अन्य व्यय	27,24,000	27,24,000	27,24,000	27,24,000	-
योग-	27,24,000	27,24,000	27,24,000	27,24,000	-

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-04-राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन-02-मजदूरी	15,72,000	15,72,000	15,72,000	15,72,000	15,72,000
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-04-राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन-13-टेलीफोन पर व्यय	4,82,784	4,82,784	4,82,784	4,82,784	4,82,784
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-04-राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन-47-कम्प्यूटर अनुरक्षण तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	6,69,216	6,69,216	6,69,216	6,69,216	6,69,216
योग-	27,24,000	27,24,000	27,24,000	27,24,000	27,24,000

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण मानक मद 42-अन्य व्यय में धनराशि की आवश्यकता न होने के कारण है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय का कारण सम्बन्धित मानक मदों में धनराशि आवंटित न होना है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव।
खाद्य एवं रसद विभाग।

संख्या- आर0ई0 190/ई-7-1120/दस-2015 दिनॉक 17 दिसम्बर, 2015
सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(अरूण कुमार दुबे)
उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 26/2015/746/84-1-15/2015 दिनॉक 17 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उ0प्र0, लखनऊ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से,

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in